



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092025-266515
CG-DL-E-29092025-266515

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 629]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार सितम्बर 25, 2025/आश्विन 3, 1947

No. 629]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2025/ASVINA 3, 1947

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितंबर, 2025

सा.का.नि. 713(अ).—निम्नलिखित मसौदा नियम, जिन्हें केन्द्र सरकार व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 23 और 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को धारा 134 की उप धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा अधिसूचना पर उस तारीख से 45 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा, जिस तारीख को राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, आम जन के लिए उपलब्ध करा दी जाती हैं; आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, को श्री रविशंकर निराला, अवर सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कमरा संख्या: 17, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को अथवा ईमेल (fas@dgfasli.nic.in तथा ravis.nirala@nic.in) द्वारा भेजा जा सकता है। आपत्तियां और सुझाव एक प्रोफार्मा में भेजे जाएँ जिसमें कॉलम (i) में व्यक्तियों और संगठनों के नाम और पते का उल्लेख हो, कॉलम (ii) में उस नियम या उपनियम का उल्लेख हो जिसे संशोधित करने का प्रस्ताव है, तथा कॉलम (iii) में प्रस्तुत किए जाने वाले संशोधित नियम या उपनियम और उसके कारणों का उल्लेख हो; उक्त मसौदा अधिसूचना के संबंध में किसी व्यक्ति या संगठन से ऊपर निर्दिष्ट 45 दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

खान कर्मकारों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता, 2020 की धारा 23 और 24 के अंतर्गत विहित मसौदा नियम।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ (i) इन नियमों का नाम व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता, 2020 की धारा-23 और 24 के अंतर्गत खान कर्मकार नियम, 202..... है।

(ii) इनका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(iii) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता, 2020 के प्रारंभ होने की तारीख पर ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "संहिता" से व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता, 2020 अभिप्रेत है;

(ख) "प्रभारी कैंटीन अधिकारी" से वह व्यक्ति (प्रबंधक के अलावा) अभिप्रेत है जिसे अधिष्ठातामालिक अथवा एजेंट, नियोक्ता द्वारा संहिता के अंतर्गत कैंटीनों के संबंध में प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया है।

(ग) "धारा" से संहिता की धारा अभिप्रेत है।

(घ) "संग्रह" से इन नियमों के साथ संग्रह सूची अभिप्रेत है;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद को यहां परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु वे संहिता में हैं, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो संहिता में दिए गए हैं।

3. धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (i) के अधीन सफाई और स्वच्छता: प्रत्येक खान का मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि:-

(1) सभी कार्यस्थलों, कार्य कक्षों, गलियारों, सीढ़ियों, भंडार कक्षों और सेवा कक्षों को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर दशा में रखा जाए।

(2) दीवारों और छतों की सतहें, जिनमें खिड़कियाँ और रोशनदान शामिल हैं, हमेशा साफ-सुथरी और स्वास्थ्यकर दशा में रखी जाएं।

(3) प्रत्येक कार्य कक्ष का फर्श साफ-सुथरा रखा जाए तथा जहां तक संभव हो, इसे सूखा और फिसलन रहित रखा जाए।

(4) जहाँ गीली कार्य प्रक्रियाएँ की जाती हैं—

(i) प्रभावी जल निकासी बनाई रखी जाए;

(ii) फॉल्स फर्श, प्लेटफॉर्म, चटाई या खड़े होने के अन्य सूखे स्थान उपलब्ध कराए जाएं; और

(iii) ऐसे स्थानों पर काम करते समय उपयोग के लिए उपयुक्त फिसलनरोधी जूते कर्मकारों को बिना किसी व्यय के उपलब्ध कराए जाएं।

(5) किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुसार जितनी आवश्यकता हो उतनी बार कार्य स्थलों की सफाई की जाए।

(6) जहां तक संभव हो, झाड़ू लगाना और सफाई कार्य—

(i) काम के बीच के अंतराल के दौरान किया जाए; और

(ii) यह इस तरह से किया जाए कि धूल को उड़ने से रोका जा सके।

(7) जहां तकनीकी कारणों से कार्य समय के दौरान सफाई करना आवश्यक हो, वहां धूल या अन्य हानिकारक पदार्थों से वायु के संदूषण से बचने के लिए उचित साधन का उपयोग किया जाए तथा सावधानी बरती जाए।

(8) प्रभावी पर्यवेक्षण के तहत हर प्रकार के अपशिष्ट के दैनिक संग्रहण, भंडारण, निपटान या उपचार के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाए।

4. धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ii) के अधीन वेंटिलेशन, तापमान और आर्द्रता:-

प्रत्येक भूमिगत खान का मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (1) कार्यस्थलों में प्राकृतिक या कृत्रिम तरीकों से उपयुक्त वातावरणीय दशाएं बनाए रखी जाएं, ताकि अपर्याप्त वायु आपूर्ति, स्थिर या दूषित वायु, हानिकारक हवाएं, अत्यधिक गर्मी या ठंड, तापमान में अचानक परिवर्तन से बचा जा सके, तथा जहां व्यावहारिक हो, वहां की जाने वाली प्रक्रियाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अत्यधिक आर्द्रता या सूखापन तथा असहनीय गंध से बचा जा सके।
- (2) खान के सभी कार्यस्थलों पर धुआं, धूम, भाप और धूल को दूर करने के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन उपलब्ध कराने तथा ज्वलनशील या हानिकारक गैसों को पतला करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि वे हानिरहित बन सकें।
- (3) कर्मचारियों को मौसम की चरम स्थिति से बचाने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं, जैसे कि कार्य के घंटों में उचित परिवर्तन करना, आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कपड़े या अन्य उपयुक्त प्रावधान उपलब्ध कराना।
- (4) जहां प्राकृतिक वेंटिलेशन द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ हवा प्राप्त नहीं की जा सके, या जहां प्रवेश द्वारों के पास असुविधाजनक हवा का प्रवाह बनाए बिना कार्य कक्षों में वांछित मात्रा में हवा पहुंचाना कठिन होता है, वहां यांत्रिक वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाए।
- (5) खानों की सतह पर स्थित प्रत्येक कार्यस्थल पर, किए जाने वाले कार्य के प्रकार के लिए उपयुक्त तापमान बनाए रखा जाए तथा कार्य के प्रकार और बाहरी तापमान और आर्द्रता के अनुसार आर्द्रता की मात्रा बदलती रहे।
- (6) वायु की मात्रा, तापमान और आर्द्रता का मापन नियमित रूप से लिया जाए और प्रत्येक वायु मापन स्टेशन पर प्रविष्टियों को अद्यतन किया जाए।

5. धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (iii) के अधीन धूलधुआं और अन्य अशुद्धियों से बचाव ,हानिकारक गैस , के लिए सावधानी: प्रत्येक भूमिगत खानों का मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि:

- (1) किसी भी कार्यस्थल पर हवा में प्रवेश करने वाली किसी भी गैस, धुएं, वाष्प या धूल के उत्सर्जन को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारियों का श्वसन योग्य धूल, गैस, धुएं या वाष्प के संपर्क में आना एक सीमा तक सीमित है जो उचित रूप से व्यावहारिक है, लेकिन किसी भी मामले में, कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सीमाओं से अधिक नहीं है।
- (2) किसी भी कर्मचारी को किसी कार्यस्थल या सीमित स्थान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाए, जब तक कि वहां उपस्थित किसी भी हानिकारक गैस, धुएं, वाष्प या धूल को हटाने के लिए सभी व्यावहारिक उपाय नहीं कर लिए जाएं, ताकि उनका स्तर अनुमेय सीमा के भीतर लाया जा सके।

6. धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (iv) के अधीन कृत्रिम आर्द्रीकरण: प्रत्येक भूमिगत खान का मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (1) किसी भूमिगत खान या उसके किसी भाग के संबंध में, वायु की सापेक्षिक आर्द्रता निर्धारित करने के लिए परीक्षण किए जाएं और उन्हें रिकार्ड किया जाए और यदि वायु का आर्द्रता स्तर कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया जाता है, तो उसे कृत्रिम रूप से इस प्रकार विनियमित किया जाए कि आर्द्रीकरण और तापमान से कर्मचारियों को कोई असुविधा न हो;
- (2) इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त जल सार्वजनिक आपूर्ति या पेयजल के अन्य स्रोत से लिया जाता है या उपयोग करने से पहले शुद्ध किया जाए।
- (3) उपयुक्त स्थानों पर आर्द्रता और तापमान के मापन और रिकॉर्डिंग के लिए उपकरण मालिक द्वारा उपलब्ध कराए जाएं और उनका रखरखाव किया जाए।
- (4) कर्मचारियों को उन लक्षणों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाए जो गर्मी के तनाव का कारण बन सकते हैं।

7. पेयजल -धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन:- प्रत्येक खान का मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (1) सभी कार्यस्थलों पर सभी कर्मचारियों के लिए स्वच्छ, स्वास्थ्यवर्धक और सुरक्षित पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराई जाए तथा यह सुलभता से उपलब्ध हो।
- (2) पाइप द्वारा आपूर्ति के अलावा पेयजल की किसी भी आपूर्ति को उपयुक्त पात्रों में रखा जाए, जिन पर हिंदी, अंग्रेजी और अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में स्पष्ट रूप से चिह्न अंकित या प्रदर्शित किया जाए, ताकि यह दर्शाया जा सके कि जल पीने के लिए सुरक्षित है और ऐसी आपूर्ति को प्रतिदिन भरा जाए तथा जल और

पात्रों को संदूषण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती जाएं;

- (3) जहां पानी राईजिंग जेट द्वारा दिया जाता है, वहां छोड़कर, सामान्य पीने के गिलास या कप का उपयोग निषिद्ध है।
- (4) जहां जल पीने के लिए असुरक्षित है, औद्योगिक प्रक्रियाओं या अन्य प्रयोजनों में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है, वहां इसका उल्लेख हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में किया जाए, जिसे अधिकांश कर्मकार समझते हों।

(8) भीड़भाड़ - धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (vi) के अधीन:-प्रत्येक खान का मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (1) सभी कार्यस्थलों पर सभी कर्मचारियों के लिए स्वच्छ, स्वास्थ्यवर्धक और सुरक्षित पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराई जाए तथा वह आसानी से उपलब्ध हो।
- (2) सामान्य परिचालन, समायोजन, साधारण मरम्मत, आपूर्ति की गई, प्रक्रियाधीन या पूर्ण हो चुकी सामग्रियों के लिए व्यक्तिगत मशीनों या प्रक्रिया इकाइयों के चारों ओर पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाए।
- (3) खान परिसर में किसी भी स्थान पर, जहां कर्मचारियों को काम करना हो या किसी भी कारण से एकत्र होना हो, वहां भीड़भाड़ को रोकने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाएं, जिनमें शामिल हैं:
 - (i) सभी कार्य क्षेत्रों में भीड़भाड़ से संबंधित खतरों को दर्शाने वाले संकेतों या प्रतीकों का डिजाइन और उपयोग, जिसमें किसी भी समय ऐसे स्थानों पर काम करने के लिए अनुमत कर्मकारों की संख्या निर्दिष्ट की गई हो;
 - (ii) वाहनों और पैदल यात्रियों के रास्तों को अलग-अलग रंगों से चिह्नित अवरोधों का उपयोग करके अलग रखा जाए।
 - (iii) वाहनों की तैनाती को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाए और भीड़भाड़ से बचा जाए।

9. प्रकाश (ईल्यूमिनेशन) - धारा-23 की उपधारा (2) के खण्ड (vii) के अधीन:-प्रत्येक खानों का मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (1) खानों में सभी स्थानों, जिनमें उपयोगिता सेवाओं से संबंधित सभी सुविधाएँ शामिल हैं, जहाँ कर्मचारी काम करते हैं या गुजरते हैं, या जिन्हें आपात स्थिति में काम करना या गुजरना पड़ सकता है, में उपयोग के समय पर्याप्त प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था, या दोनों उपलब्ध हैं, जो संचालन और किए जा रहे विशेष प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त हैं। जहाँ भी संभव हो, प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था की जाए।
- (2) कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था तब प्रदान की जाए जब दिन का प्रकाश कम हो या ऐसे क्षेत्रों में जहाँ दिन का प्रकाश अपर्याप्त हो।
- (3) प्रत्येक कार्यस्थल पर, जहाँ कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था के विफल होने की स्थिति में कर्मचारियों को जोखिम का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर्याप्त क्षमता की स्वचालित आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, जिसके ऊर्जा स्रोत सामान्य प्रकाश व्यवस्था प्रणालियों के लिए स्थापित उपकरणों से स्वतंत्र होने चाहिए।

10. धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (viii) के अधीन शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था:

प्रत्येक खान का मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- 1) ((i) खानों के प्रत्येक कार्यस्थल पर पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और निःशक्त कर्मचारियों के उपयोग के लिए सुविधाजनक अलग-अलग स्थानों पर पर्याप्त शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था की जाए।
- ((ii) ऐसे आवास में पर्याप्त रोशनी और हवादार व्यवस्था होनी चाहिए तथा उसे हर समय साफ और स्वच्छ रखा जाए।
- (2) (i) शौचालय, मूत्रालय और स्वच्छता ब्लॉकों का फर्श फिसलन रहित स्थिति में रखा जाए।
- ((ii) शौचालयों, मूत्रालयों और सैनिटरी ब्लॉकों की आंतरिक दीवारों पर चमकदार टाइलें लगाई जाए। वैकल्पिक रूप से, शौचालयों और मूत्रालयों की आंतरिक दीवारों को इस तरह से तैयार किया जाए कि वे चिकनी, पॉलिश की हुई और अभेद्य सतह प्रदान करें जिससे स्वच्छता और स्वास्थ्यपरकता को बढ़ावा मिले;
- ((iii) शौचालयों और मूत्रालयों के सैनिटरी पैन को हर समय धोया हुआ और साफ रखा जाए।
- (3) प्रत्येक 25 पुरुष और 15 महिला कर्मकारों के लिए कम से कम एक अलग शौचालय की व्यवस्था की जाए और

निःशक्त कर्मचारों और ट्रांसजेंडर कर्मचारों के लिए कम से कम एक अलग शौचालय की व्यवस्था की जाए। साथ ही, एक ही समय में कार्यरत प्रत्येक 15 पुरुष कर्मचारों के लिए कम से कम एक मूत्रालय की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक शौचालय और मूत्रालय में पर्याप्त जल आपूर्ति उपलब्ध हो।

- (4) नल के पानी सहित वॉशबेसिन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
- (5) महिलाओं के उपयोग के लिए उनके शौचालयों में पर्याप्त मात्रा में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएं तथा उनका रखरखाव किया जाए तथा इन्हें दैनिक आधार पर भरा जाए।
- (6) महिलाओं के शौचालयों में इस्तेमाल किए गए सैनिटरी नैपकिन इकट्ठा करने के लिए ढक्कन वाले डिस्पोजेबल कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाए। इस्तेमाल किए गए नैपकिन का सुरक्षित निपटान किया जाए। पुरुषों, ट्रांसजेंडर और निशक्त: व्यक्तियों के लिए भी शौचालयों में ढक्कन वाले डिस्पोजेबल कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाएँ।
- (7) प्रत्येक शौचालय को कवर किया जाए तथा इस प्रकार विभाजित किया जाए कि गोपनीयता बनी रहे, तथा उचित दरवाजा, फास्टनिंग और एग्ज़हॉस्ट हो।
- (8) जहां पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और निशक्त व्यक्ति कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां प्रत्येक शौचालय ब्लॉक के बाहर हिंदी, अंग्रेजी और अधिकांश कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में, जैसा भी मामला हो, "केवल पुरुषों के लिए" शक्त व्यक्तियों :केवल नि" या "केवल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए" या "केवल महिलाओं के लिए" या "नोटिस प्रदर्शित किया जाए। "के लिए
- (9) शौचालयों और मूत्रालयों से निकलने वाले अपशिष्ट और बहिःस्राव का उपचार किया जाए और सुरक्षित तरीके से : उसका निपटान किया जाए।
- (10) शौचालयों में पानी के नल-
 - (i) जहां पाइप द्वारा जल आपूर्ति उपलब्ध है, वहां ऐसे शौचालय में या उसके निकट जल के नल लगाए जाएं; और
 - (ii) यदि पाइप द्वारा जल आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, तो नल या अन्य माध्यम से जल उपलब्ध कराया जाए, ताकि शौचालय और मूत्रालयों में या उनके निकट आसानी से जल उपलब्ध हो सके।

11. धारा 23 की उप) धारा-2) के खंड)ix) के तहत अपशिष्ट और बहिःस्राव का उपचार:- प्रत्येक खान का मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (1) खानों से निकलने वाले तरल अपशिष्ट और गैसीय उत्सर्जन के निकास तथा ठोस कचरे के निपटान के लिए उचित व्यवस्था की गई है।
- (2) सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करते हुए, अपशिष्ट और बहिः स्राव:के उपचार के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाए।
- (3) अपशिष्ट और बहिःस्राव: के संग्रहण, भंडारण और प्रसंस्करण से जुड़े खतरों और जोखिमों की पहचान की जाए और उचित निवारक और नियंत्रण उपाय लागू किए जाएं।
- (4) अपशिष्ट और बहिः स्राव:के प्रबंधन के जोखिम के आकलन के आधार पर, उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई)) निःशुल्क उपलब्ध कराए जाए; और
- (5) अपशिष्ट और बहिः स्राव:का प्रबंधन करने वाले कर्मचारियों को पहचाने गए खतरों और जोखिमों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाए।

12. धुलाई की सुविधा धारा -24 की उप) धारा-1) के खंड)i) के तहत : प्रत्येक खान का मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि- :

)1आसानी से पहुँच वाली जगहों पर पुरुष और (महिला, ट्रांसजेंडर और निःशक्त कर्मचारियों के लिए अलगअलग साबुन-, तौलिए और पानी की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति उचित और पर्याप्त धुलाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जो इस प्रकार हैं :

- i. कार्यस्थल से अलग हो;
- ii. अच्छी तरह हवादार हो;

- iii. उचित जल निकासी प्रणाली हो;
- iv. साफसुथरी और स्वच्छ स्थिति में हो-;
- v. गोपनीयता बनाए रखने के लिए अंदर से बंद हो सके और उसमें उचित दरवाजे और ताले हों;
- vi. हिंदी, अंग्रेजी और अधिकांश कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में बाहर उचित संकेत जैसेकेवल " - पुरुषों के लिए", "केवल महिलाओं के लिए", "केवल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए(जो भी लागू हो) " प्रदर्शित हों।

(2) एक ही तौलिये का इस्तेमाल करना निषिद्ध है।

13. धारा 24 की उप) धारा-1) के खंड)ii) के अधीन स्नान गृह और लॉकर रूम की व्यवस्था: प्रत्येक खान का मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (1) आसानी से पहुँच वाली जगहों पर पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और निःशक्त कर्मचारियों के लिए अलगअलग साबुन-, तौलिये और पानी की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति उचित और पर्याप्त धुलाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई हो। जो इस प्रकार हैं :
 - (i) कार्यस्थल से अलग हो;
 - (ii) अच्छी तरह हवादार हो;
 - (iii) उचित जल निकासी प्रणाली हो;
 - (iv) साफसुथरी और स्वच्छ स्थिति में हो-;
 - (v) गोपनीयता बनाए रखने के लिए अंदर से बंद हो सके और उसमें उचित दरवाजे और ताले हों;
 - (vi) हिंदी, अंग्रेजी और अधिकांश कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में बाहर उचित संकेत जैसेकेवल " - "पुरुषों के लिए", "केवल महिलाओं के लिए", "केवल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिएकेवल निःशक्त व्यक्तियों के " या " (जो भी लागू हो) "लिए प्रदर्शित हों।
- (2) कार्य की प्रकृति के अनुसार, कार्य के समय पहने जाने वाले कपड़ों और ऐसे विशेष कपड़ों को रखने के लिए, जो कर्मचारी कार्य स्थल पर पहनते हैं लेकिन घर नहीं ले जाते, पुरुषों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर के लिए आसानी से उपलब्ध जगहों पर उपयुक्त और अलग लॉकर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

14. धारा 24 की उप) धारा-1) के खंड)iii) के अधीन कार्य के दौरान न पहने जाने वाले कपड़ों को रखना :-प्रत्येक खान का मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (1) कार्य की प्रकृति के अनुसार, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और निःशक्तजनों के लिए काम के घंटों के दौरान न पहने गए : कपड़ों को रखने और सुखाने के लिए उपयुक्त, अलग और पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों।
- (2) ये सुविधाएं कार्यस्थल से अलग कमरों में हों।
- (3) काम की प्रकृति के आधार पर, पुरुषों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर और निःशक्त व्यक्तियों के लिए अलग से कपड़े बदलने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ऐसे कर्मचारियों के कार्यस्थल के कपड़े जहरीले, संक्रामक, जलन पैदा करने वाले या रेडियोएक्टिव पदार्थों से दूषित हो सकते हैं, इसलिए उनके लिए सामान्य कपड़ों और कार्यस्थल के कपड़ों के लिए अलगअलग सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाए।-
- (4) जब कर्मचारी ऐसे काम में लगे हों कि उनके काम के कपड़े गीले हो सकते हैं या शिफ्ट के बीच धोने पड़ सकते हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की जाए कि काम पर लौटने पर हर कर्मचारी के पास हमेशा सूखे कपड़े हों।
- (5) यह सुविधाएं इस तरह से उपलब्ध कराई जानी चाहिए—
 - (i) पर्याप्त आकार के और उचित वेंटिलेशन वाले व्यक्तिगत लॉकर;
 - (ii) बेंच या बैठने की अन्य उपयुक्त व्यवस्था।

15. धारा 24 की उप) धारा-1) के खंड)iv) के अधीन बैठने की व्यवस्था :प्रत्येक खान का मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि खड़े होकर कार्य करने वाले कर्मचारियों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था बनाई जाए, ताकि उनके कार्य में कोई बाधा न हो।

इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त और आरामदायक बैठने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

16. धारा 24 की उप) धारा-1) के खंड)v) के तहत कैटीन की व्यवस्था:

प्रत्येक खान का मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि - :

- (1) ऐसी हर खान में, जहाँ 100 या उससे अधिक कर्मचारी, जिनमें ठेका श्रमिक भी शामिल हैं, काम करते हैं, खान परिसर में या उसके आसपास एक कैटीन है जहाँ कर्मचारियों को पौष्टिक-, स्वच्छ और स्वस्थ भोजन उपलब्ध हो।
- (2) खान का मालिकपास एक कॉमन कैटीन के माध्यम से भी कैटीन की सुविधा दे -खान परिसर में या उसके आस , सकता है।
- (3) कैटीन को धूल, धुएं या बदबूदार गैस से बचाने के लिए यह शौचालय, मूत्रालय और प्रोसेस एरिया से उचित दूरी पर हो।
- (4) कैटीन में कम से कम एक डाइनिंग हॉल, किचन, स्टोर रूम, पेंट्री और कर्मचारियों के हाथ धोने तथा बर्तन धोने के लिए अलगअलग जगह हो।-
- (5) कैटीन में प्रवेश और निकास के लिए अलगअलग दरवाजे हों।-
- (6) डाइनिंग हॉल
 - (i) डाइनिंग हॉल को ऐसी किसी भी जगह से अलग रखा जाए जहाँ कोई खतरनाक पदार्थ खानेपीने की - चीजों, थालियों या बर्तनों को दूषित कर सकता हो;
 - (ii) डाइनिंग हॉल में कर्मचारियों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह है, ताकि एक समय में ज्यादा कर्मचारी भी आराम से बैठ सकें;
 - (iii) डाइनिंग हॉल और सर्विस काउंटर का एक हिस्सा अलग करके महिला कर्मचारियों और निःशक्तजनों के लिए आरक्षित किया जाए; और
 - (iv) पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और निःशक्त कर्मचारियों के लिए अलगअलग वॉशरूम हैं और उनकी निजता - का ध्यान रखते हुए उन्हें पर्देसे अलग किया जाए।
- (7) उपकरण
 - (i) भोजन के लिए प्रयोग किया जाने वाला सारा सामान और बर्तन साफ किए जाए और उन्हें स्वच्छ स्थिति में रखा जाए;
 - (ii) फर्नीचर और अन्य उपकरण साफ और स्वच्छ स्थिति में रखे जाए।
- (8) भोजन का भंडारण, तैयारी और रखरखाव
 - (i) हर खाद्य प्रबंधक को भोजन से संबंधित ऐसे तरीकों का प्रशिक्षण और निर्देश दिए जाएं जिससे भोजन दूषित न हो; और
 - (ii) कोई भी व्यक्ति जो संक्रामक बीमारी से पीड़ित है, उसे खाद्य प्रबंधक के रूप में काम करने की अनुमति नहीं है।
- (9) भोजन बनाने की जगह या डाइनिंग हॉल से बचा हुआ खाना और कचरा हटाकर ढके हुए कंटेनर में जमा किया जाए और समय समय पर उसका निपटान किया-जाए।
- (10) खाना, पेय और अन्य सामान बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाए, जिसकी कीमतें कैटीन प्रबंधन समिति तय करती है; और
- (11) कैटीन में दिए जाने वाले भोजन, पेय और अन्य सामान का प्रति सर्विंग मूल्य कैटीन में प्रदर्शित किया जाए।
- (12) कैटीन प्रबंधन समिति

(i) निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए एक कैटीन प्रबंधन समिति का गठन किया जाए:

कैटीन में दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और मात्रा .;

ख मेनू की व्यवस्था;

कैटीन में भोजन का समय .; और

क कोई अन्य संबंधित मामला .

बशर्ते कि, यदि कैटीन का प्रबंधन बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम-के तहत पंजीकृत किसी 2002 सहकारी संस्था द्वारा किया जाता है, तो कैटीन प्रबंधन समिति को नियुक्त करना आवश्यक नहीं होगा।

(ii) कैटीन प्रबंधन समिति में कर्मचारियों और नियोक्ता के बराबर संख्या में प्रतिनिधि हों;

(iii) नियोक्ता के प्रतिनिधि को नियोक्ता द्वारा नामित किया जाए और

(iv) कर्मचारियों के प्रतिनिधि की नियुक्ति संबंधित यूनियन या काउंसिल द्वारा की जाए और यदि कोई यूनियन या काउंसिल नहीं है, तो कर्मचारी स्वयं कैटीन समिति के लिए अपने प्रतिनिधि चुनेंगे।

(v) समिति का कार्यकाल आपसी सहमति से तय किया जाएगा। कर्मचारियों और मालिक, दोनों पक्षों के समिति सदस्यों में से एकतिहाई सदस्य हर दो साल में बदले जाएंगे।-

(vi) कैटीन प्रबंधन समिति, कैटीन प्रबंधन से परामर्श करके कैटीन के संचालन के बारे में निर्णय लेती है।

17. मेडिकल परीक्षण धारा -24 की उप) धारा-1) के खंड)vi) के तहत :

प्रत्येक खानों का मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि - :

- (1) खान में कार्य करने वाले या कार्य पर लगाए जाने वाले सभी कर्मचारियों, जिसमें ठेका श्रमिक भी शामिल हैं, का मेडिकल परीक्षण नौकरी शुरू होने से पहले और उसके बाद हर साल किया जाए।
- (2) ठेका श्रमिकों को नियमित कर्मचारियों के समान ही मेडिकल सुविधाएं दी जाएं।
- (3) यदि इन नियमों के तहत किसी मेडिकल परीक्षण में यह पाया जाता है कि किसी कर्मचारी को संहिता के खंड 12(1) के तहत तीसरी अनुसूची में बताई गई कोई बीमारी है, तो उस कर्मचारी पर संहिता के खंड के प्रावधान लागू होंगे 12 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, के प्रावधानों के अनुसार उसे 2020 मुआवजा दिया जाए।
- (4) खंड)3के प्रावधानों के तहत किसी विवाद की स्थिति में (, मामला इन नियमों के तहत गठित अपीलीय मेडिकल बोर्ड को भेजा जा सकता है।

18. फर्स्ट एड और मेडिकल उपकरण) धारा-के उप 24 धारा -1) के खंड (vii) के अधीन:

प्रत्येक खान मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि- :

-)1हर खान या उसके उस हिस्से में जहां कर्मचारी काम करते हैं (, पर्याप्त संख्या में फर्स्ट एड बॉक्स या अलमारी रखी-जाए और उनमें ज़रूरी सामान हो, ताकि काम के समय उनका इस्तेमाल आसानी से किया जा सके।
-)2ए-एड बॉक्स या अलमारी की ज़िम्मेदारी फर्स्ट-हर फर्स्ट (ड ट्रीटमेंट का सर्टिफिकेट रखने वाले किसी कर्मचारी या सुपरवाइजर को सौंपी जाए, जो खान या उसके उस हिस्से में काम के समय हमेशा उपलब्ध रहता है। हर फर्स्टएड -बॉक्स या अलमारी में रखे सामान की सूची अनुभागI में दी गई है और मालिक अपनी ज़रूरत के अनुसार और सामान भी रख सकता है।
-)3 एड प्रक्रिया की प्रशिक्षण देने के लिए उचित और पर्याप्त व्यवस्था की-कर्मचारियों और सुपरवाइजर को फर्स्ट (जाए।
-)4)(i)कार्य के दौरान होने वाली हर चोट या बीमारी की सूचना खान में मौजूद सुपरवाइजर को चोट और बीमारी की (निगरानी के लिए दी जाए।
-)ii) खान में कार्य करने वाले ऐसे कर्मचारियों के लिए उचित व्यवस्था की जाए, जिन्हें कार्य के दौरान गंभीर चोट या बीमारी हो जाती है, या जिन्हें फर्स्ट एड देने वाले व्यक्ति के अनुसार इलाज की आवश्यकता होती है। ऐसे कर्मचारियों को तुरंत खान या उसके आसपास के क्षेत्र से नजद-ीकी डिस्पेंसरी या अस्पताल पहुंचाया जाए।

- 5) (काम के दौरान चोट लगने पर हर कर्मचारी को यह बात फर्स्टएड का प्रमाणपत्र रखने वाले कर्मचारी या - एड उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। यदि चोट -सुपरवाइजर को बतानी चाहिए जो घायल व्यक्ति को आवश्यक फर्स्ट लगने वाला कर्मचारी फर्स्टएड का प्रमाणपत्र रखने वाले कर्मचारी या सुपरवाइजर को यह जानकारी देने की स्थिति में - नहीं है, तो यह उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी जिसे इस घटना के बारे में सबसे पहले पता चलता है कि वह यह जानकारी फर्स्टएड का प्रमाणपत्र रखने वाले कर्मचारी या सुपरवाइजर को दे।
- 6) (यदि सुपरवाइजर की राय में चोट ऐसी है कि उसे तुरंत किसी योग्य चिकित्सक से इलाज की आवश्यकता है, तो वह तुरंत चिकित्सक को बुलाने की व्यवस्था करेगा या इस बारे में खानों के मालिक या उसके प्रतिनिधि को सूचित करेगा।
- 7) (मालिक या उसके प्रतिनिधि का कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि कर्मचारी को जल्द से जल्द नजदीकी डिस्पेंसरी अस्पताल पहुंचाया जाए/, बेहतर होगा कि इसके लिए एक उचित एम्बुलेंस वाहन का उपयोग किया जाए।

19. धारा 24 की उप) धारा-2) के खंड ii) के तहत एम्बुलेंस कक्ष : प्रत्येक खान का मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि :-

- (1) पिछले कैलेंडर वर्ष में किसी भी एक दिन 500 से अधिक कर्मचारियों वाली हर खान में, एक उपयुक्त एम्बुलेंस कक्ष या डिस्पेंसरी हो जो उपलब्ध हो और अच्छी हालत में हो।, जैसी भी स्थिति हो, घंटे या कार्य समय के दौरान 24 खानों का मालिक आपातकालीन सेवाओं के लिए अस्पतालों से भी समझौता कर सकता है।
- (2) पास एक सुविधाजनक स्थान-एम्बुलेंस कक्ष का मतलब है खान परिसर में या उसके आस, जिसमें किसी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए पर्याप्त जगह और सुविधाएं हों और जिसमें कम से कम वह उपकरण हों जो **संलग्न-II** में दी गई सूची में बताए गए उपकरण हो। मालिक आवश्यकतानुसार और भी सामान जोड़ सकता है।
- (3) एम्बुलेंस कक्ष की देखरेख एक पूर्णकालिक योग्य मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा की जाए, जिसे मालिक द्वारा सीधे नियुक्त किया जाए और उसकी सहायता के लिए पर्याप्त संख्या में पैरामेडिकल स्टाफ कम से कम एक नर्स और एक जनरल) भी (नर्सिंग असिस्टेंट/हेल्थकेयर-ड्यूटी असिस्टेंट) जाए।
- (4)) नियम-उप3) के तहत नियुक्त किए जाने वाले मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की पहली या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल कोई मेडिकल योग्यता होनी चाहिए। तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल योग्यता वाले व्यक्तियों को उक्त अधिनियम के खंड 13(3) में उल्लिखित शर्त या नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी)) अधिनियम 2019 के अनुसार या इंडस्ट्रियल डिग्री या समकक्ष/ऑक्यूपेशनल हेल्थ में डिप्लोमा/योग्यता पूरी करनी होगी।
- (5)) नियम-उप3) के तहत नियुक्त की जाने वाली योग्य नर्स के पास राज्य नर्सिंग काउंसिल से पंजीकृत योग्यता होनी चाहिए और उसे बेसिक लाइफ सपोर्ट बीएलएस)) की ट्रेनिंग पूरी करनी होगी, साथ ही उसे किसी मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल में कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी का अनुभव भी हो।
- (6) एम्बुलेंस कक्ष में मरीज की निजता और जांच के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए।
- (7) एम्बुलेंस कक्ष में इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था और एक उपयुक्त संचार उपकरण संभव हो तो हाथ में रखने वाला) उपलब्ध (डिवाइस होना चाहिए।
- (8) एम्बुलेंस कक्ष में भीगने वाले शावर पॉइंट की व्यवस्था हो, जहाँ से जल निकासी की व्यवस्था शावर से दूर निकलने योग्य हो। निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भीगने वाले शावर तक जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

20. धारा 24 की उप) धारा-2) के खंड iii) के तहत आश्रय स्थल और विश्राम कक्ष : प्रत्येक खान का मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि :-

- 1) हर उस खान में (, जहाँ आमतौर पर 50 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वहाँ कर्मचारियों के भोजन करने के लिए पर्याप्त विश्राम कक्ष और लंचरूम होना चाहिए, जिसमें पीने के पानी और हाथ पैर धोने की-सुविधा भी हो।
- (2) ये सुविधाएं पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग अलग उपलब्ध कराई-जाए।

- (3) बशर्ते नियम 16 के अधीन उपबंधों के अनुसार संचालित किसी कैंटीन को इस नियम का अनुपालन माना जाए।
- (4) आश्रय स्थल या विश्राम कक्ष और लंच रूम में निम्नलिखित सुविधाएं होनी चाहिए:
- (i) ऐसे कमरे पर्याप्त रोशनी वाले और हवासुथरे और स्वच्छ स्थिति में रखे जाएं।-दार हों और हमेशा साफ-
 - (ii) सभी दीवारें और छत उपयुक्त गर्मी प्रतिरोधी सामग्री की बनी हों;
 - (iii) ऐसे कमरे की छत फर्श से उचित ऊंचाई पर हो और उसमें उस समय काम कर रहे कर्मचारियों के लिए पर्याप्त जगह हो;
 - (iv) हर कमरे में बैठने और खाने के लिए उचित फर्नीचर हो।

21. धारा 24 की उपधारा)2) के खंड iv) के अंतर्गत कल्याण अधिकारी - :प्रत्येक खान का मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि :

- (1) दो सौ पचास से पांच सौ कामगारों को रोजगार देने वाली प्रत्येक खान का मालिक कम से कम एक कल्याण अधिकारी नियुक्त करे, और जहां कामगारों की संख्या पांच सौ से अधिक है, वहां प्रत्येक अतिरिक्त पांच सौ कामगारों या पांच सौ से अधिक कामगारों या उसके अंश के लिए एक अतिरिक्त कल्याण अधिकारी नियुक्त किया जाए।
- (2) किसी खान में जहां पुरुष और महिला दोनों कामगार कार्यरत हैं, वहां नियुक्त की जाने वाली महिला कल्याण अधिकारियों की संख्या नियोजित महिला कामगारों के अनुपात में होगी और जहां नियोजित महिलाओं की संख्या एक सौ से अधिक है और महिला कामगारों की कुल संख्या एक हजार से अधिक नहीं है, वहां एक अतिरिक्त महिला कल्याण अधिकारी नियुक्त की जाए।
- (3) जहां एक से अधिक कल्याण अधिकारी नियुक्त हों, उनमें से एक को मुख्य कल्याण अधिकारी तथा अन्य को कल्याण अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाए।
- (4) योग्यताएं

कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति ने इस संबंध में केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सामाजिक कार्य या मानव संसाधन प्रबंधन या श्रम कल्याण में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किया हो; तथा उसे खानों में अधिकांश कामगारों द्वारा बोली जाने वाली भाषा का ज्ञान हो।

(5) कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति की सूचना -

मालिक द्वारा नियुक्ति की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा निरीक्षकसुविधाकर्ता को दी जाए-सह-, जिसमें नियुक्त अधिकारी की योग्यता आदि का विवरण तथा उसकी सेवा की शर्तें दी जाएं।

(6) कल्याण अधिकारियों की सेवा शर्तें-

- (i) कल्याण अधिकारी को खान के अन्य कार्यपालकों के अनुरूप उचित दर्जा दिया जाए और उसे कार्यपालकअधिकारी / वेतनमान पर नियुक्त किया जाए।
 - (ii) कल्याण अधिकारी की सेवा शर्तें खान में समतुल्य दर्जे के अन्य कार्यपालकों अधिकारियों/के समान होती हैं:
- बशर्ते कि, सेवामुक्ति या बर्खास्तगी के मामले में कल्याण अधिकारी को मुख्य निरीक्षकसुविधाप्रदाता के पास अपील -सह- करने का अधिकार होगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा तथा मालिक पर बाध्यकारी होगा।

(7) कल्याण अधिकारी के कर्तव्य:

- (i) खान प्रबंधन और कामगारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से संपर्क स्थापित करना और परामर्श

करना;

- (ii) कामगारों की शिकायतों को खान प्रबंधन के ध्यान में लाना ताकि उनका शीघ्र निवारण सुनिश्चित किया जा सके और प्रबंधन एवं कामगारों के बीच संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करना;
 - (iii) कामगारों के दृष्टिकोण का अध्ययन और उसे समझना ताकि खान प्रबंधन को श्रम नीतियों को आकार देने और तैयार करने में सहायता मिल सके और इन नीतियों की व्याख्या कामगारों को उनकी समझ में आने वाली भाषा में की जा सके;
 - (iv) कार्य घंटों के विनियमन, प्रसूति प्रसुविधा, चिकित्सा देखभाल, चोट लगने और बीमारियों के लिए मुआवजे और अन्य कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा लाभों से संबंधित अनुपालन, दायित्वों, वैधानिक या अन्य पर सलाह देना;
 - (v) कल्याणकारी सुविधाओं जैसे आवास सुविधाओं, खाद्य पदार्थों, सामाजिक और मनोरंजक सुविधाओं, स्वच्छता, व्यक्तिगत कार्मिक समस्याओं और बच्चों की शिक्षा के प्रावधान पर सलाह देना; और
 - (vi) नए भर्ती हुए कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं, स्थानांतरण और पदोन्नति वाले कामगारों, प्रशिक्षकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण, नोटिस बोर्ड और सूचना बुलेटिनों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के बारे में खान प्रबंधन को सलाह देना ताकि कामगारों की शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके और तकनीकी संस्थानों में उनकी उपस्थिति को प्रोत्साहित किया जा सके।
- (8) कल्याण अधिकारी अनुशासनात्मक मामलों का निपटान नहीं करेंगे या कामगारों के विरुद्ध प्रबंधन की ओर से पेश नहीं होंगे या खान प्रबंधन की ओर से सुलह अधिकारी या न्यायाधिकरण के समक्ष पेश नहीं होंगे।

22. धारा 24 की उपधारा 3) के अधीन क्रेच सुविधा -:

प्रत्येक खान का मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (1) प्रत्येक खानों में, जहाँ सामान्यतः 50 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, कर्मचारियों के छवर्ष से कम आयु के बच्चों के : उपयोग के लिए एक क्रेच सुविधा प्रदान की जाए और उसका रखरखाव किया जाए।
- (2) जहाँ भी आवश्यकता हो, मोबाइल क्रेच उपलब्ध कराई जाए।
- (3) प्रत्येक क्रेच सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए निःशुल्क और सुलभ होगी;
- (4) क्रेच यथासंभव कार्यस्थल के भीतर या किसी निकटवर्ती सुलभ स्थान पर स्थित होना चाहिए;
- (5) क्रेच भवन निर्माण स्थल के किसी ऐसे भाग के निकट स्थित नहीं होना चाहिए जहाँ से हानिकारक धुआँ, धूल या दुर्गंध निकलती हो या जहाँ अत्यधिक शोरगुल वाली प्रक्रियाएँ चलती हों;
- (6) क्रेच में या उसके आसपास बच्चों और उनके कपड़ों की धुलाई के लिए एक उपयुक्त शौचालय हो-;
- (7) क्रेच को स्वच्छ, स्वास्थ्यकर और स्वच्छतापूर्ण स्थिति में रखा जाए;
- (8) बच्चे की व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखा जाए।
- (9) क्रेच बच्चों और शिशुओं की देखभाल के लिए अधिमानतः महिला के अधीन हो;
- (10) क्रेच के प्रभारी, सहायक कर्मचारी और गार्ड का पुलिस सत्यापन अनिवार्य है।
- (11) क्रेच के प्रभारी व्यक्ति के पास बच्चे की पहचान, निवास का पता आदि की जानकारी हो और इसका रखरखाव किया जाए।
- (12) क्रेच में बच्चे को लाने और छोड़ने वाले व्यक्ति का विवरण देखभालकर्ता के पास उपलब्ध होना चाहिए और बच्चे को केवल उसी व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए। यदि कोई अन्य व्यक्ति बच्चे को लेने या छोड़ने जाता है तो मातापिता - की अनुमति के साथ उसकी पहचान आवश्यक होगी।
- (13) सुबह बच्चे के आगमन पर और बच्चे को लेने के समय सभी बच्चों की उपस्थिति दर्ज की जाए।
- (14) क्रेच में रहने के दौरान प्रत्येक बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में साफ कपड़े, साबुन और साफ तौलिए उपलब्ध हों;
- (15) क्रेच में आराम करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो;

- (16) सभी बच्चों को उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार पौष्टिक, सम्पूर्ण और स्वास्थ्यकारी भोजन की पर्याप्त आपूर्ति की जाए;
- (17) कैंची, चाकू, ब्लेड, पिन आदि जैसी सभी नुकीली चीज़ें बच्चों से हमेशा दूर रखी जाए।
- (18) डिटर्जेंट, क्लीनिंग एजेंट, फ़िनाइल आदि जैसे रसायन बच्चों की पहुँच से दूर रखे जाएं।
- (19) क्रेच में बचे हुए खाने या अन्य अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए गैरदहनशील ढके हुए पात्र उपलब्ध कराए - जाएं;
- (20) सभी बिजली के स्विचप्लग बच्चों की पहुँच से दूर रखे जाएं।
- (21) निकासी की योजना बनाना और उसे क्रेच में प्रदर्शित करना।
- (22) शिशुगृह में किसी भी समय यहाँ तक कि अवकाश के दौरान भी किसी भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा जाए।
- (23) किसी भी प्रकार का मौखिक या शारीरिक दुर्व्यवहार सख्त वर्जित किया जाए।
- (24) किसी भी प्रकार के यौन दुर्व्यवहार और यौन शोषण से पाँक्सो अधिनियम के अंतर्गत सख्ती से निपटा जाए।
- (25) पर्यवेक्षक के माध्यम से क्रेच के कार्य समय के दौरान किसी भी समय, किसी भी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति को क्रेच के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए। उदाहरण के लिए सिविल कार्य केवल सप्ताहांतछुटियों के दौरान ही किए / जाएं।
- (26) क्रेच में कार्य समय के दौरान सीसीटीवी निगरानी हो।
- (27) जैसे महत्वपूर्ण और आपातकालीन संपर्क नंबर 112, 1098, अग्निशमन सेवा, बाल संरक्षण अधिकारी, निकटतम पुलिस स्टेशन आदि जैसी हेल्पलाइन (क्रेच परिसर में आसान पहुँच और संदर्भ के लिए प्रदर्शित किए जाएं।
- (28) कर्मचारी कॉल पर उपलब्ध हो।/आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रणाली

धारा) (2) 24vii): कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है।

23. ठेका श्रमिकों सहित कर्मचारों हेतु आवास की सुविधाएं

प्रत्येक खान का मालिक प्रत्येक खान में क्वार्टरों और शयन कक्षों सहित उपयुक्त आवासीय सुविधा उपलब्ध कराएगा और उसका रखरखाव करेगा, जो ठेका श्रमिकों सहित तेल खानों में खुले हुए खानों, गड्डों, शाफ्टों, डंप याडों, स्टॉक पाइल्स, अस्थिर खानों, कुओं और अन्य मालिक के सक्रिय कार्य क्षेत्र से कम से कम मीटर की दूरी पर होगा। 500

.24मॉक ड्रिल

प्रत्येक खान मालिक को विभिन्न आपात स्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन तैयारियों की जांच के लिए मॉक ड्रिल का त्रैमासिक आयोजन सुनिश्चित करना होगा।

संलग्न-1

नियम 18(2) के तहत दिए गए फर्स्ट एड बॉक्स की सामग्री सूची:-

(i) घाव की देखभाल:

- विभिन्न आकारों (जैसे, छोटे, मध्यम, बड़े) में स्टेराइल एडहेसिव वाली बैंडेज
- उन्नत घाव-उपचार गुणों वाले स्टेराइल गॉज़ पैड और ड्रेसिंग
- घावों को ढकने और उनकी सुरक्षा के लिए पारदर्शी फिल्म ड्रेसिंग
- घाव की सफाई के लिए एंटीसेप्टिक वाइप्स या सॉल्यूशन
- छोटे कट और घावों के लिए त्वचा को ढकने वाली बैंडेज
- डिस्पोजेबल दस्ताने (लेटेक्स-फ्री या नाइट्राइल)
- राउंडेड टिप्स वाली कैंची

(ii) सीपीआर और पुनर्जीवन:

- सुरक्षित रूप से सीपीआर देने के लिए वन-वे वाल्व युक्त पॉकेट मास्क या फेस शील्ड
- पीईईपी वाल्व (धनात्मक अंतःश्वसन दाब) युक्त डिस्पोजेबल पुनर्जीवन बैग-वाल्व-मास्क उपकरण

(iii) दवाइयाँ और मलहम: • व्यापक-स्पेक्ट्रम रोगाणुरोधी गुणों वाला एंटीसेप्टिक मलहम

- कीड़े के काटने और त्वचा की जलन के लिए हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम
- उचित खुराक वाली दर्द निवारक दवाइयाँ (जैसे, एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन)
- एलर्जी की प्रतिक्रिया के लिए एंटीहिस्टामाइन, विभिन्न फ्रॉमूलेशन (गोलियाँ, तरल, आदि) में उपलब्ध
- सस्पेक्टेड कार्डिक इवेंट्स समस्याओं के लिए एस्पिरिन
- चीनी के पैकेट

(iv) बैंडेज और ड्रेसिंग:

- सैल्फ एडहेसिव वाली इलास्टिक बैंडेज और मोच और खिंचाव के लिए बर्फ की थैलियों वाला आइस पैक बॉक्स
- बेहतर अवशोषण क्षमता वाली नॉन-स्टिक घाव ड्रेसिंग या पैड
- जलने पर देखभाल:
- तुरंत ठंडक और दर्द से राहत के लिए हाइड्रोजेल बर्न ड्रेसिंग
- हाइड्रोजेल कोटिंग वाली स्टेराइल बर्न शीट
- आरामदायक प्रभाव वाला बर्न जेल या स्प्रे

(v) उपकरण और औज़ार:

- सटीक तापमान जांच के लिए डिजिटल थर्मामीटर रीडिंग
- सक्शन उपकरण, स्टिफ नेक कॉलर, एयरवे, आर्टीफीशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट बैग, फिंगर प्रोब पल्स ऑक्सीमीटर
- स्लेक बाइट लैसेट

(vi) समायोज्य चमक वाली उच्च गुणवत्ता वाली टॉर्च।

संलग्न- II

नियम 19(2) के तहत दिए गए एम्बुलेंस कक्ष के लिए उपकरणों की सूची:-

(i) उन्नत चिकित्सा उपकरण:

• रेगुलेटर और विभिन्न ऑक्सीजन डिलीवरी उपकरणों (नेजल केनुला, मास्क) के साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर

- श्वसन संबंधी दवा की कुशलतापूर्वक देने के लिए नेबुलाइज़र
- एयरवेमैनेजमेंट प्रबंधन और स्रावों को साफ़ करने के लिए सक्शन उपकरण
- नवीनतम तकनीक और सुविधाओं वाला स्वचालित बाह्य डिफाइब्रिलेटर (एईडी)
- सटीक रक्तचाप रीडिंग के लिए रक्तचाप मॉनिटर
- ब्लडग्लूकोज़ स्तर के आकलन के लिए परीक्षण स्ट्रिप्स वाला ग्लूकोमीटर

(ii) स्वच्छता और हाइजीन:

- कम से कम 60% अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइज़र
- जैविक रूप से खतरनाक कचरे के लिए बिना छुए इस्तेमाल करने वाला अपशिष्ट निपटान कंटेनर
- सतहों और उपकरणों की सफाई के लिए डिस्पोजेबल वाइप्स

(iii) पेशेंट ट्रांसपोर्ट:

• रोगी की सुविधा और जांच में आसानी के लिए पैडिंग और सुरक्षा सुविधाओं वाली विद्युत या हाइड्रोलिक एडजस्टेबल जांच टेबल।

• सुविधा के तहत रोगी को सुरक्षित और आसानी से लाने और ले जाने हेतु लॉकिंग पहियों वाली पोर्टेबल रोगी स्थानांतरण कुर्सी या स्ट्रेचर।

- कटे हुए अंगों के लिए आइस पैक सहित प्लास्टिक कवर।

(iv) हाइजीन और घाव की देखभाल:

• हैंड्स-फ्री ऑपरेशन के लिए इन्फ्रारेड सेंसर युक्त ग्लेज़्ड सिंक, जिसमें एक एकीकृत साबुन डिस्पेंसर और पेपर टॉवल डिस्पेंसर लगा हो।

- कारगर हाथ धुलने के लिए मॉइस्चराइजिंग गुणों वाला रोगाणुरोधी साबुन।
- कर्मचारियों के हाथों की स्वच्छता के लिए बायोडिग्रेडेबल त्रिसल्स वाले डिस्पोजेबल नेल ब्रश।

(v) घाव की ड्रेसिंग और आपूर्ति:

• बेहतर घाव भरने और संक्रमण की रोकथाम के लिए हाइड्रोजेल या सिल्वर-आधारित तकनीक से युक्त उन्नत घाव ड्रेसिंग।

- एडहेसिव गुणों वाली स्टेराइल सिलिकॉन ड्रेसिंग जो हटाते समय त्वचा को नुकसान न पहुंचाए।
- ड्रेसिंग बदलते समय दर्द को कम करने के लिए नॉन-एडहेसिव वाली घाव संपर्क लेयर्स।
- घावों को ढकने और उनकी देखभाल के लिए बेहतर हवा पास करने वाली पारदर्शी फिल्म ड्रेसिंग।
- बहते घावों के लिए उपयुक्त अधिक अवशोषण क्षमता वाली स्टेराइल फोम ड्रेसिंग।
- नेजलक सक्शन बल्ब

(vi) एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन:

- घाव को हल्का नम करने के लिए या घाव को साफ करने के लिए सलाइन सॉल्यूशन।
- त्वचा के अनुकूल एंटीसेप्टिक गुणों वाले स्टेराइल घाव सफाई वाइप्स।

(vii) रोगी का आराम और गर्माहट:

• रोगी के आराम और गर्माहट के लिए नमी सोखने वाले और तापमान नियंत्रित करने वाले गुणों से युक्त मुलायम फ्लीस कंबल।

• आवश्यकतानुसार गर्मी प्रदान करने के लिए उन्नत ताप-धारण सामग्री से युक्त पुनः उपयोग-योग्य इंस्टेंट हीट पैक।

(viii) स्प्लिंट और सपोर्ट:

• बेहतर स्थिरता और सपोर्ट के लिए समायोज्य गुणों वाले लचीले, वैक्यूम-निर्मित या फुलाए जा सकने वाले स्प्लिंट।

- सुरक्षित और आरामदायक सपोर्ट के लिए सेल्फ-एडहेसिव युक्त गुणों वाली इलास्टिक एडहेसिव बैंडेज।
- त्रिकोणीय बैंडेज
- (ix) आपातकालीन उपकरण:
 - गंभीर रक्तस्राव को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए प्रेशर बैंडेज।
- (x) तापमान आकलन:
 - त्वरित और स्वच्छ तापमान आकलन के लिए गैर-संपर्क इन्फ्रारेड थर्मामीटर।
- (xi) दवाएँ और प्रशासन उपकरण:
 - किसी योग्य चिकित्सक द्वारा निर्धारित आपातकालीन दवाएँ और उपकरण।
- (xii) आपातकालीन दवाएँ:
 - किसी योग्य चिकित्सक द्वारा निर्धारित एंटी-टेटनस सीरम और अन्य आपातकालीन दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति।
- (xiii) चिकित्सा उपकरण:
 - सटीक रीडिंग के लिए एक स्टेथोस्कोप और समायोज्य कफ के साथ डिजिटल डिस्प्ले युक्त एक स्वचालित रक्तचाप मॉनिटर।
 - एक इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राफ मशीन
 - एक सक्शन उपकरण, एक स्टिफ नेक कॉलर, एक एयरवे, एक आरटीफीशियल मैनुअल व्रीडिंग यूनिट बैग, एक फिंगर प्रोब पल्स ऑक्सीमीटर।

[फा. सं. एस.65025/01/2020-आईएसएच-II]

आलोक चंद्र, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2025

G.S.R. 713(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of powers conferred by Sections 23 & 24 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) are hereby notified as required by sub-section (1) of Section 134, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of 45 days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public; Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Ravishankar Nirala, Under Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment, Room No: 17, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi or by email (fas@dgfasli.nic.in and ravis.nirala@nic.in). The objections and suggestions should be sent in a proforma containing columns (i) specifying the name and address of the persons and organizations and column (ii) specifying the rule or sub-rule which is proposed to be modified and column (iii) specifying the revised rule or sub rule proposed to be submitted and the reasons therefore; Objections and suggestions, which may be received from any person or organization with respect to the said draft notification before expiry of a period of 45 days, specified above, will be considered by the Central Government.

Draft Rules prescribed under section 23 & 24 of the OSH&WC Code, 2020 for Mines Workers.

1. **Short title, extent and commencement:** (i) These rules may be called the Mines Worker Rules, 202... under Section-23 & 24 of the Occupational Safety, Health, And Working Conditions Code, 2020.

- (ii) They extend to whole of India.
- (iii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette on the date of commencement of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.

2. Definition. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) “Code” means the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020;
 - (b) “Officer In charge Canteen” means the person (other than manager) appointed by the occupier, owner or agent for securing compliance with the provision in respect of canteens under the code.
 - (c) “Section” means the Section of the Code.
 - (d) “Annexure” means list annexed to these rules;
- (2) The words and expressions used in these Rules and are not defined herein, but are in the Code, shall have respectively meaning assigned to them in the Code.

3. Cleanliness and hygiene under clause (i) of sub-section (2) of section 23: The owner of every mine shall ensure that: -

- (1) All workplaces, workrooms, passageways, staircases, storerooms and service rooms are kept in sanitary and hygienic condition.
- (2) Surfaces of walls and ceilings, including windows and skylights, are always kept clean and maintained in a hygienic condition.
- (3) The floor of every workroom is maintained in a clean and, so far as possible, dry and non-slippery condition.
- (4) Where wet work processes are carried out—
 - (i) effective drainage is maintained;
 - (ii) false floors, platforms, mats or other dry standing places are provided; and
 - (iii) suitable anti-skid footwear for use while at work in such place are provided without expense to the employees.
- (5) Workplaces are cleaned as often as required by the nature of the work carried on.
- (6) As far as practicable, sweeping and cleaning are done—
 - (i) during intervals between work; and
 - (ii) in such a manner as to prevent the raising of dust.
- (7) Where, for technical reasons, cleaning must be carried out during working hours, appropriate means are used and precautions are taken to avoid contamination of the air with dust or other obnoxious substances.
- (8) Suitable arrangements for daily collection, storage, disposal or treatment of every type of waste are made under the effective supervision.

4. Ventilation, temperature and Humidity under clause (ii) of sub-section (2) of section 23: -

The owner of every belowground mine shall ensure that: -

- (1) Suitable atmospheric conditions are maintained in workplaces, by natural or artificial means, to avoid insufficient air supply, stagnant or vitiated air, harmful draughts, excessive heat or cold, sudden variations in temperature, and where practicable, having regard to the nature of the processes carried on, to avoid excessive humidity or dryness, and objectionable odours.

- (2) Steps are taken as are necessary to provide at all workplaces of the belowground mine, adequate ventilation to clear away smoke, fume, steam and dust, to dilute gases that are inflammable or noxious so as to render them harmless.
- (3) Adequate and sufficient measures are taken to protect the employees from exposing to extreme weather conditions by suitably changing the working hours, providing protective clothes or other suitable provisions, as necessary.
- (4) Where an adequate supply of fresh air cannot be obtained by natural ventilation, or where it is difficult to get the desired amount of air to the workrooms without creating uncomfortable draughts near the inlets, mechanical ventilation is provided.
- (5) At every workplace at the surface of the mines, the temperature suitable for the type of work performed is maintained in workplaces and the degree of humidity varied in accordance with the kind of work and the outside temperature and humidity.
- (6) Measurements of air quantity, temperature and humidity are regularly taken and brought up- to-date the entries at each air measurement station.

5. Precaution against dust, noxious gas, fumes, and other impurities under clause (iii) of sub-section (2) of section 23: The owner of every belowground mine shall ensure that:

- (1) such steps as may be necessary are taken for minimizing emissions of any gas, fume, vapor or dust which may enter the air at any workplace and for ensuring that the exposure of employees to respirable dust, gas, fume or vapor is limited to an extent that is reasonably practicable but, in any case, not exceeding the limits that are harmful to the health of employees.
- (2) No employee is required or allowed to enter any workplace or confined space until all practicable measures have been taken to remove any noxious gas, fume, vapors or dust, which may be present so as to bring their levels within the permissible limits.

6. Artificial Humidification under clause (iv) of sub section (2) of section 23: The owner of every belowground mine shall ensure that: -

- (1) In respect of any **belowground** mine or part thereof, tests for determining the relative humidity of the air is carried out and recorded and if humidity level of the air is found to be harmful to the health of employees, is artificially regulated in such a manner that humidification and temperature do not cause any discomfort to employees;
- (2) The water used for the purpose is taken from public supply or other source of drinking water or is purified before it is so used.
- (3) Instruments for measurement and recording of humidity and temperature at appropriate locations are provided and maintained by the owner.
- (4) Employees are trained to recognize symptoms which may lead to heat stress.

7. Potable drinking water under clause (v) of sub-section (2) of section 23: - The owner of every mine shall ensure that: -

- (1) Adequate supply of clean, wholesome and safe drinking water is provided for, and be readily accessible to, all employees in all workplaces.
- (2) Any supply of drinking water other than the piped supply is contained in suitable vessels clearly marked or displayed in Hindi, English and local language understood by the majority of the employees, to indicate that the water is safe for drinking and such supply is

replenished daily and all necessary precautions are taken to preserve the water and vessels from contamination;

- (3) Except where the water is delivered by a rising jet, the use of common drinking tumblers or cups is prohibited.
- (4) Where water is unsafe for drinking purposes, is provided for use in industrial processes or other purposes, it is to be so indicated in Hindi, English and local language understood by the majority of the employees.

8. Overcrowding -under clause (vi) of sub-section (2) of section 23: - The owner of every mine shall ensure that: -

- (1) The floor space in any building and also where mining is being carried out is not crowded with machinery in a manner dangerous to employees, or be overcrowded with materials or products so as to constitute a menace to them.
- (2) Sufficient space is provided around the individual machines or process units to allow for normal operation, adjustments, ordinary repairs, for materials supplied, in process, or completed.
- (3) Adequate provisions are made to prevent overcrowding at any place where employees are required to work or assemble for any reason in the mine premises, including:
 - (i) Design and use of signs or symbols that indicate and illustrate overcrowding related hazards in all working areas specifying the number of employees allowed to work at such places at any one time;
 - (ii) Vehicle and pedestrian pathways are kept separated using barriers indicated by distinctive colors and
 - (iii) Deployment of vehicles are managed effectively and overcrowding is avoided.

9. Lighting (Illumination) - under clause (vii) of sub-section (2) of section 23- The owner of every mine shall ensure that: -

- (1) All places in the mines including all amenities for utility services where employees work or pass, or may have to work or pass in emergencies, are provided during time of use with adequate natural or artificial lighting, or both, suitable for the operations and the special type of work performed. Natural lighting is arranged wherever possible.
- (2) Artificial lighting is provided when daylight fails or for areas where the daylight illumination is insufficient.
- (3) At every work place where employees are exposed to risks in the event of failure of artificial lighting, are provided with automatic emergency lighting of sufficient intensity that has energy sources independent of the installations for the general lighting systems are functional.

10. Latrine and urinal accommodation- under clause (viii) of sub-section (2) of section 23:

The owner of every mine shall ensure that: -

- (1) (i) In every workplace of mine, sufficient latrine and urinal accommodation is provided at conveniently accessible places separately for the use of male, female, transgender and persons with disabilities employees.
- (ii) Such accommodation is sufficiently lighted and ventilated and maintained in a clean and

sanitary condition at all times.

- (2) (i) Floor of the latrine, urinal and the sanitary blocks are maintained in non-slippery condition.
- (ii) the internal walls of the latrines, urinals and the sanitary blocks are laid in glazed tiles. Alternatively, internal walls of the latrines and urinals are finished in such a manner to provide a smooth, polished and impervious surface to facilitate cleanliness and hygiene;
- (iii) Sanitary pans of latrines and urinals are kept washed and cleaned at all times.
- (3) At least one separate latrine accommodation, for every 25 male and 15 female employees, and at least one separate latrine accommodation each for person with disabilities employees and for transgender employees is provided and at least one urinal for every 15 males employed at the same time. Sufficient water supply is provided in every latrine and urinal accommodation.
- (4) Washbasin facility with tap water is made available.
- (5) Sanitary napkins in sufficient quantity are provided and maintained in the women's toilets for their use and the same are to be replenished on a daily basis.
- (6) Disposable bins with lids are provided within the women's toilets for the collection of the used sanitary napkins. The used napkins are safely disposed off. Disposable bins with lids shall also be provided within the toilets for men, transgender and person with disabilities.
- (7) Every latrine is kept under cover and so partitioned off as to secure privacy, and to have a proper door, fastenings and exhaust.
- (8) Where male, female, transgender and person with disabilities employees are employed, outside each latrine block a notice "For men only" or "For women only" or "For transgender persons only" or "For persons with disabilities only", as the case may be, in Hindi, English and local language understood by the majority of the employees, are displayed.
- (9) Waste or sullage water from latrines and urinals is treated and safely disposed of.
- (10) Water taps in latrines-
 - (i) where piped water supply is available, water taps are to be provided in or near such latrine accommodation; and
 - (ii) if piped water supply is not available, water is provided by the means of tap or otherwise so as to be conveniently accessible in or near the latrine and urinals.

11. Treatment of waste and effluents under clause (ix) of sub-section (2) of section 23: The owner of every mine shall ensure that: -

- (1) Proper arrangements for discharging liquid effluents and gaseous emission, and disposal of solid waste generated in the mine are made.
- (2) Effective arrangements are made for the treatment of wastes and effluents by ensuring compliance with the safety and health requirements.
- (3) Hazards and risks with the handling, storage and processing of wastes and effluents are identified and appropriate preventive and control measures are implemented.
- (4) Appropriate personal protective equipment (PPE) based on risk assessment of handling the waste and effluents are provided, free of charge; and
- (5) Employees handling the wastes and effluents are trained on the identified hazards and risks.

12. Washing facility - under clause (i) of sub-section (1) of section- 24:—The owner of every mine shall ensure that: -

(1) Suitable and sufficient washing facilities at easily accessible places are provided with regular and adequate supply of water including soap, towels separately for male and female, transgender and person with disabilities employees, which are:

- (i) Separated from the workplaces;
- (ii) Well ventilated;
- (iii) With proper drainage system;
- (iv) Maintained in a sanitary and hygienic condition;
- (v) Capable of being secured from inside to secure privacy and have a proper door, fastenings;
- (vi) Appropriately demarcated with "For men only" or "For women only" or "for transgender persons only" as the case may be, in Hindi, English and local language understood by the majority of the employees, are displayed outside

(2) The use of common towels shall be prohibited.

13. Bathing and Locker rooms under clause (ii) of sub-section (1) of section 24: The owner of every mine shall ensure that: -

(1) Suitable, separate and sufficient bathing places and locker facility, as may be necessary owing to the nature of work, at easily accessible places with regular and adequate supply of water including soap and towels for male, female, transgender and persons with disabilities separately, are provided which are : -

- (i) Separated from the workplaces;
- (ii) Well ventilated;
- (iii) With proper drainage system;
- (iv) Maintained in a sanitary and hygienic condition;
- (v) Capable of being secured from inside to secure privacy and have a proper door, fastenings;
- (vi) Properly demarcated with "For men only" or "For women only" or "For transgender persons only" as the case may be, in Hindi, English and local language understood by the majority of the employees, are displayed outside

(2) Suitable, separate locker facilities, as may be necessary owing to the nature of work, at easily accessible places for storing clothing that are worn during working hours and for special clothing which is worn by any employee at work but is not taken home, for male, female, transgender and persons with disabilities.

14. Keeping of cloth not worn during working hour under clause (iii) of sub-section (1) of section 24:—The owner of every mine shall ensure that:-

- (1) Suitable, separate and sufficient installations, as may be necessary owing to the nature of work, for male, female, transgender and persons with disabilities for keeping clothes not worn during working hours and drying them are available.
- (2) These installations are placed in rooms separate from the workrooms.
- (3) A separate facility for changing clothes is made available for male, female, transgender and persons with disabilities, as may be necessary owing to the nature of work, whose working clothes are exposed to contamination with poisonous, infectious, irritating or radioactive

substances and are also provided with well separated facilities for street and working clothes.

- (4) When employees are engaged in processes of such a nature that their working clothes are liable to become wet or have to be washed between shifts, suitable arrangements are made to ensure that dry clothes are always available to each employee on his return to work.
- (5) These facilities are to be provided with—
 - (i) individual lockers of adequate size and with adequate ventilation,
 - (ii) benches or other suitable seating arrangements.

15. Sitting arrangement under clause (iv) of sub-section (1) of section 24: The owner of every mine shall ensure that reasonable arrangements for sitting without detriment to their work are made to employees obliged to work in standing position. Adequate and comfortable seating facilities are provided for this purpose.

16. Facilities of canteen under clause (v) of sub-section (1) of section 24:

The owner of every mine shall ensure that: -

- (1) At every mine where in 100 or more workers including contract labourers are ordinarily employed, a canteen in or adjacent to the precincts of the mine, is provided and maintained to provide nutritious, wholesome and healthy food for the employees;
- (2) The owner of the mine can also provide facility of canteen through common canteen adjacent to mine premises;
- (3) The canteen is situated at appropriate distance from any latrine, urinal and process area to avoid dust, smoke or obnoxious fumes;
- (4) The canteen is constructed to accommodate at least a dining hall, kitchen, store room, pantry and washing places separately for employees and for utensils.
- (5) Canteen has separate doors for entry and exit.
- (6) Dining Hall
 - (i) The dining hall is separated from any place where a hazardous substance may contaminate food, dishes or utensils;
 - (ii) The dining hall is furnished with a sitting arrangement to accommodate sufficient number of employees normally using at any one time;
 - (iii) A portion of the dining hall and service counter is partitioned off and reserved for women employees and persons with disabilities employees; and
 - (iv) Washing places for male, female, transgender and persons with disabilities employees are separate and screened to secure privacy.
- (7) Equipment
 - (i) All equipment and utensils that come into contact with food are cleaned and maintained in hygienic condition;
 - (ii) Furniture and other equipment are maintained in a clean and hygienic condition.
- (8) Storage, Preparation and Handling of food
 - (i) Each food handler is trained and instructed in food handling practices that prevent the contamination of food; and
 - (ii) No person who is suffering from a communicable disease is allowed to work as a food handler.

- (9) Food waste and garbage are removed from the food preparation area or dining hall, stored in covered containers and disposed of periodically.
- (10) Food, drink and other items are sold on a no profit no loss basis wherein the rates are fixed by canteen management committee; and
- (11) The charges per portion of food items, beverages and any other items served in the canteen are displayed in the canteen.
- (12) Canteen Management Committee
 - (i) A Canteen Managing Committee is constituted to carry out the following functions:
 - a. the quality and the quantity of food stuffs to be served in the canteen;
 - b. the arrangements of the menu;
 - c. the timings of meals in the canteen; and
 - d. any other relevant matter

Provided that where the canteen is managed by a co-operative society registered under the Multi State Co-operative Societies Act, 2002 it shall not be necessary to appoint a Canteen Managing Committee.

- (ii) The Canteen Managing Committee consists of an equal number of representative of employees and employer;
- (iii) the representatives of employer are nominated by the employer and
- (iv) the representatives of worker are nominated by negotiating union or negotiating council as the case may be and where there is no negotiating union or negotiating council the employees will choose amongst themselves the worker representatives of the canteen committee.
- (v) The tenure of the committee shall be determined mutually. One-third of the committee members of employees and owner shall be rotated every two years.
- (vi) The canteen managing committee decides on the running of the canteen in consultation with the canteen manager.

17. Medical Examination under clause (vi) of sub-section (1) of section 24:

The owner of every mine shall ensure that: -

- (1) Medical examination of every employee employed or to be employed in a mine including contract labour is done before commencement of their employment and subsequently every year.
- (2) The contract labour is provided with the medical facilities at par with regular employees.
- (3) If as a result of any medical examination under these rules, an employee is found to have contracted any disease specified in Third Schedule under section 12 (1) of the Code, the provisions of section 12 of the said code shall be applicable in respect of that employee and compensation shall be paid as per the provisions of the Code on Social Security, 2020.
- (4) In the event of any dispute under the provisions of clause (3), the matter may be referred to the appellate medical board constituted under these Rules.

18. First Aid and Medical Appliances - under clause (vii) of sub-section (1) of section 24:

The owner of every mine shall ensure that: -

- (1) In every mine or part thereof where employees are at work, first aid boxes or cup-boards in adequate numbers with necessary items are provided and maintained so as to be readily accessible during working hours.

- (2) Every first-aid box or cupboard is kept in the charge of a worker or supervisor who holds a certificate in first-aid treatment and who is always readily available during the working hours of the mine or part thereof. The illustrative list of contents of each first-aid box or cup-board is annexed at **Annexure-I** and owner may add more items as per requirement.
- (3) Adequate and suitable arrangements are made for the training of the workers and supervisors in first-aid procedures.
- (4) (i) Every case of injury or illness during the course of work is reported to the supervisor at the mine for injury and illness surveillance.
(ii) Adequate and suitable arrangements are made available for speedy evacuation or referral of persons employed at the mine who while on duty suffers from serious bodily injury or illness of a serious nature or as the nature of injury and illness as decided by the first aider, from the mine or part thereof to the nearest dispensary or hospital.
- (5) Every employee receiving an injury during the course of work shall report the same to the worker or supervisor who holds a certificate in first-aid treatment and who shall make arrangements for rendering first-aid to the injured as may be required. Where the employee receiving an injury is not in a position to report the same to the worker or supervisor who holds a certificate in first-aid treatment, it shall be the duty of the person who first comes to know of it to report the same to the worker or supervisor.
- (6) If in the opinion of the supervisor, the injury is of such a nature so as to require immediate medical attention by the qualified medical practitioner, he shall arrange for the qualified medical practitioner to be called or bring it to the notice of the owner or his representative at the mine.
- (7) It shall be the duty of the owner or his representative to ensure that adequate and suitable arrangements are made available for speedy transportation of that employee to nearest dispensary/ hospitals preferably by means of a proper ambulance van.

19. Ambulance Room - under clause (i) of sub-section (2) of section 24: The owner of every mine shall ensure that: -

- (1) At every mine employing more than 500 workers on any one day of the preceding calendar year, a suitable Ambulance room or dispensary is provided round the clock or during working hours as the case may be and is maintained in good order. The owner of the mines may also tie up with hospitals for emergency services.
- (2) The ambulance room would mean a place conveniently located in or nearby mines premises and have adequate space and arrangements to cope up with any medical emergency and contains at least the equipment as mentioned in illustrative list given in **Annexure- II**. The owner may add more items as per requirement.
- (3) Ambulance Room is under the charge of a full time qualified medical practitioner appointed directly by the owner and is assisted by adequate number of paramedical staffs (at least one nurse and one General Duty Assistant-Healthcare/Nursing Assistant).
- (4) The medical practitioner required to be appointed under sub-rule (3) has a medical qualification included in the I or II schedule or part II of the Third schedule of the Indian Medical Council Act of 1956 (Persons possessing qualifications included in part II of Third schedule should also fulfil the condition specified in section 13(3) of the Act or as per the National Medical Commission (NMC) Act 2019 or Diploma/Degree in Industrial/Occupational Health or equivalent.
- (5) Qualified Nurse required to be appointed under sub-rule (3) has qualification registered under

State Nursing Council and completed training in Basic Life Support (BLS) along with experience in emergency of not less than 6 months duration from a multispecialty hospital.

- (6) Ambulance Room is having adequate space for privacy and examination of the patient.
- (7) Ambulance Room is provided with Emergency Lighting Supply and a suitable communication medium preferably handheld device.
- (8) Ambulance Room is provided with drenching shower points with drainage sloping away from the showers. Water supply to drenching shower should be secured to ensure the continuous water supply.

20. Shelter/ Rest Room under clause (iii) of sub-section (2) of section 24: The owner of every mine shall ensure that: -

- (1) In every mine, wherein more than 50 workers are ordinarily employed, sufficient and suitable rest room and lunchroom, with provision for drinking water and washing facilities, where employees can eat their meals are provided.
- (2) These facilities are provided separately and maintained for male, female, and transgender persons.
- (3) Provided that any canteen maintained in accordance with the provisions under rule 16 shall be regarded as compliance of this rule.
- (4) The shelters or rest rooms and lunch rooms conforms to the following:
 - (i) Such rooms are sufficiently lighted and ventilated and maintained in a clean and hygienic condition at all times.
 - (ii) All the walls and roof are of suitable heat resisting materials;
 - (iii) The roof of such room is at suitable height from the floor level and there is sufficient floor area for employee employed at any given time;
 - (iv) Every room is sufficiently furnished with suitable seating and eating arrangement.

21. Welfare Officer under clause (iv) of sub-section (2) of section 24: - The owner of every mine shall ensure that: -

- (1) The owner of every mine employing between two hundred and fifty and five hundred workers appoints at least one welfare officer, and where the number of workers exceeds five hundred, an additional welfare officer for every additional five hundred workers or fraction thereof over five hundred is appointed.
- (2) In a mine where both male and female workers are employed, the number of women welfare officers to be appointed shall be in proportion to the women workers employed and where the number of women employed is more than one hundred and the total number of women workers does not exceed one thousand, an additional woman welfare officer is appointed.
- (3) Where there is more than one welfare officer appointed, one of them is designated as the Chief Welfare Officer and the others as welfare officers.
- (4) Qualifications

A person appointed as Welfare Officer has obtained a post graduate degree or diploma in social work or human resources management or labour welfare from any institution recognised by the

Central or State Government in this behalf; and has knowledge of the language spoken by the majority of the workers in the mine.

(5) Intimation of appointment of Welfare Officers. -

The appointment is intimated by the owner electronically or otherwise to Inspector-cum-Facilitator, giving the details of qualifications, etc. of the officer appointed and the conditions of his service.

(6) Conditions of service of Welfare Officers. -

(i) A Welfare Officer is given appropriate status corresponding to that of the other executives of the mine and he is appointed on an executive / officer pay scale.

(ii) The conditions of service of a Welfare Officer are the same as that of other members of the executives/officer of corresponding status in the mine:

Provided that, in the case of discharge or dismissal, the Welfare Officer will have a right of appeal to the Chief Inspector-cum-Facilitator, whose decision thereon is final and binding upon the owner.

(7) The duties of a Welfare Officer:

(i) to establish contacts and hold consultations with a view to maintaining harmonious relations between the mine management and workers;

(ii) to bring to the notice of the mine management the grievances of workers with a view to securing expeditious redressal and to act as a liaison officer between the management and workers;

(iii) to study and understand the point of view of workers in order to help the mine management to shape and formulate labour policies and to interpret these policies to the workers in a language they can understand;

(iv) to advise on compliances, obligations, statutory or otherwise, concerning regulation of working hours, maternity benefit, medical care, compensation for injuries and sickness and other welfare measures and social Security benefits;

(v) to advise on provision of welfare facilities, such as housing facilities, foodstuffs, social and recreational facilities, sanitation, advice on individual personnel problems and education of children; and

(vi) to advise the mine management on training of new recruits, apprentices, workers on transfer and promotion, instructors and supervisors, supervision and control of notice board and information bulletins to further education of workers and to encourage their attendance at technical institutes.

(8) Welfare officers shall not deal with disciplinary cases or appear on behalf of the management against workers or appear before a conciliation officer or tribunal on behalf of the mine management.

22. Crèche Facility under sub-section (3) of section 24:-

The owner of every mine shall ensure that: -

- (1) In every mine wherein more than 50 more are ordinarily employed, a crèches facility is provided and maintained for the use of children under the age of six years of employees
- (2) Mobile crèche is provided, wherever required.
- (3) Each Crèche facility is free and accessible to all employees;
- (4) The Crèche is located within the workplace as much as possible, or in a nearby accessible

location;

- (5) The Crèche is not situated in close proximity to any part of the building and construction worksite where obnoxious fumes, dust or odours are given off or in which excessively noisy processes are carried on;
- (6) There is in or adjoining the crèche a suitable washroom for the washing of the children and their clothing;
- (7) The Crèche is maintained in a clean, hygienic and sanitary condition;
- (8) Personal cleanliness of the child is maintained.
- (9) The Crèche is under the charge preferably woman for the care of children and infants;
- (10) Police verifications of in charge of creche, support staff and guard are mandatory.
- (11) The person in charge of the crèche should have and maintain information about the child's identity, residential address etc.
- (12) Details of the person who is picking up and dropping the child to the creche should be available with the caretaker and the child should be handed over to that person only. In case any other person picks up or drops the child, then his/her identity with the authorization from parents would be necessary.
- (13) Attendance of all children is taken in the morning on the child's arrival as well as at the time when child is picked up.
- (14) Sufficient supply of clean clothes, soaps and clean towels is available for each child while the child is in the Crèche;
- (15) The Crèche is furnished with a suitable number of resting arrangements;
- (16) Sufficient supply of nutritious, wholesome and healthy food to all children as per their dietary requirements is provided;
- (17) All sharp objects like scissors, knives, blades, pins etc. are always kept away from the children.
- (18) Chemicals such as detergents, cleaning agents, phenyl etc. are kept out of the child's reach.
- (19) The Crèche is provided with non-combustible covered receptacles for the disposal of waste food or other waste material;
- (20) All electrical switches/plugs are out of children's reach.
- (21) Planning of evacuation plan and display of the same at the crèche.
- (22) No child is left alone at any point in the crèche, even during breaks.
- (23) Any kind of verbal or physical abuse is strictly prohibited.
- (24) Any kind of sexual abuse and sexual exploitation to be strictly dealt under POCSO Act.
- (25) Through the supervisor, that no persons, known or unknown be allowed inside the crèche at any point of time, during the functioning hours of the crèche. For example, civil work should preferably be done preferably during weekend/holidays only.
- (26) The Crèche has CCTV monitoring during the working hours.
- (27) Important and emergency contact numbers (helplines like 112, 1098, fire services, child protection officer, nearest police station etc.) are displayed within the creche premises for easy access and reference.
- (28) Required Medical support system / staff is made available on call.

Section 24 (2) (vii): Any other matter which may be prescribed.**23. Residential facilities for workers including contract labours. –**

The owner of every mine shall provide and maintain at every mine suitable residential facility, including quarters and dormitories, at least 500 meters away from the active working area of opencast workings, Pits, shafts, dump yards, stock piles, unstable workings, wells and other installations in oil mines for workers including contract labour.

24. Mock Drills

The owner of every mine shall ensure quarterly conduct of Mock drills to check emergency preparedness to deal with various emergencies.

ANNEXURE- I**LIST OF CONTENTS OF FIRST AID BOX as provided under Rule 18(2) :-****(i) Wound Care:**

- Sterile adhesive bandages in various sizes (e.g., small, medium, large)
- Sterile gauze pads and dressings with advanced wound-healing properties
- Transparent film dressings for covering and protecting wounds
- Antiseptic wipes or solution for wound cleaning
- Skin closure strips for small cuts and lacerations
- Disposable gloves (latex-free or nitrile)
- Scissors with rounded tips

(ii) CPR and Resuscitation:

- Pocket mask or face shield with one-way valve for administering CPR safely
- Disposable resuscitation bag-valve-mask device with PEEP valve (positive end-expiratory pressure)

(iii) Medications and Ointments:

- Antiseptic ointment with broad-spectrum antimicrobial properties
- Hydrocortisone cream for insect bites and skin irritations
- Pain relievers (e.g., acetaminophen, ibuprofen) with appropriate dosages
- Antihistamines for allergic reactions, available in various formulations (tablets, liquid, etc.)
- Aspirin for suspected cardiac events
- Sugar sachets

(iv) Bandages and Dressings:

- Elastic bandages with self-adhesive properties and Ice pack box with ice bags for sprains and strains
- Non-stick wound dressings or pads with enhanced absorbency

- Burn Care:
 - Hydrogel burn dressings for immediate cooling and pain relief
 - Sterile burn sheets with hydrogel coating
 - Burn gel or spray with a soothing effect
- (v) **Equipment and Tools:**
- Digital thermometer for accurate temperature readings
 - Suction apparatus, Stiff neck collar, Airway, Artificial manual breathing unit bag, Finger probe pulse oximeter
 - Snake bite lancet
- (vi) **High-quality flashlight with adjustable brightness.**

ANNEXURE- II

LIST OF EQUIPMENTS FOR AMBULANCE ROOM as provided under Rule 19(2) :-

(i) Advanced Medical Equipment:

- Portable oxygen cylinder with a regulator and various oxygen delivery devices (nasal cannula, mask)
- Nebulizer for administering respiratory medication efficiently
- Suction device for airway management and clearing secretions
- Automated External Defibrillator (AED) with the latest technology and features
- Blood pressure monitor for accurate blood pressure readings
- Glucometer with test strips for blood glucose level assessment

(ii) Sanitation and Hygiene:

- Hand sanitizers with at least 60% alcohol content
- No-touch waste disposal containers for biohazardous waste
- Disposable wipes for cleaning surfaces and equipment

(iii) Patient Transport:

- Electric or hydraulic adjustable examination table with padding and safety features for patient comfort and ease of assessment.
- Portable patient transfer chair or stretcher with locking wheels for safe and efficient patient transport within the facility.
- Plastic covers for any amputated parts with ice packs.

(iv) Hygiene and Wound Care:

- Glazed sink with infrared sensor for hands-free operation, equipped with an integrated soap dispenser and paper towel dispenser.
- Antimicrobial soap with moisturizing properties for effective handwashing

- Disposable nail brushes with biodegradable bristles for personnel hand hygiene.

(v) Wound Dressings and Supplies:

- Advanced wound dressings with hydrogel or silver-based technology for better wound healing and infection prevention.
- Sterile silicone dressings with adhesive properties that do not damage the skin during removal.
- Non-adhesive wound contact layers to minimize pain during dressing changes.
- Transparent film dressings with enhanced breathability for covering and monitoring wounds.
- Sterile foam dressings for exuding wounds with high absorption capacity.
- Nasal suction bulb

(vi) Antiseptic Solutions:

- Sterile saline solution or wound wash for gentle wound irrigation.
- Sterile wound cleansing wipes with skin-friendly antiseptic properties.

(vii) Patient Comfort and Warmth:

- Soft fleece blankets with moisture-wicking and thermal-regulating properties for patient comfort and warmth.
- Reusable instant heat packs with advanced heat-retaining materials for on-demand warmth.

(viii) Splints and Support:

- Malleable, vacuum-formed, or inflatable splints with adjustable properties for better immobilization and support.
- Elastic cohesive bandages with self-adhesive properties for secure and comfortable support.
- Triangular bandages

(ix) Emergency Equipment:

- Pressure bandage for controlling severe bleeding effectively.

(x) Temperature Assessment:

- Non-contact infrared thermometers for quick and hygienic temperature assessment.

(xi) Medications and Administration Equipment:

- Emergency medications and equipment as prescribed by a qualified medical practitioner,

(xii) Emergency Medications:

- Adequate supply of anti-tetanus serum and other emergency medications as prescribed by a qualified medical practitioner.

(xiii) Medical Appliances:

- One Stethoscope and one Automated blood pressure monitor with digital display and adjustable cuffs for accurate readings.

- One Electro Cardio Graph machine
- One each of Suction apparatus, Stiff neck collar, Airway, Artificial manual breathing unit bag, Finger probe pulse oximeter.

[F. No. S.65025/01/2020-ISH-II]

ALOK CHANDRA, Senior Labour & Employment Advisor